2007: CGHC: 10351

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील सं. 993 सन् 2003

संतोष साहू एवं 2 अन्य

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

दिनांक 11.06.2007 को सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

25.05.2007

2007: CGHC: 10351

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील सं.993/2003

अपीलार्थीगण (जेल में) : 1. संतोष साहू, पिता चोवा राम साहू, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम मोरिड, थाना उतई, जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)

2. देवेंद्र साहू, पिता पूनाराम साहू, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी ग्राम सोपाली, थाना उतई, जिला - दुर्ग।

3. मनोज कुमार साहू, पिता छेदन लाल साहू, उम्र लगभग 19 वर्ष, ग्राम मोरिड, थाना उतई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रतिवादी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, थाना उतई, जिला - दुर्ग

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील)

उपस्थिति:

अपीलार्थी की ओर से : श्री उत्तम पांडे, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी (राज्य) की ओर से: श्री जी.के. बेरीवाल, उप-महाधिवक्ता

निर्णय

11/06/2007

द्वारा माननीय न्यायाशीश सुनील कुमार सिन्हा:

(1) यह अपील सत्र न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़) द्वारा सत्र प्रकरण सं. 41/2003 में दिनांक 02.07.2003 को पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दायर कि गई है, जिसमें अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2)(ग) के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दण्डादिष्ट किया है और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर एक माह की अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डादिष्ट किया है।

(2) सात अभियुक्त व्यक्ति अर्थात् संतोष साहू, देवेंद्र साहू, मनोज कुमार (यहां अपीलार्थीगण), तथा नरेश, सोनी, जग्गू एवं राजेश (किशोर अपराधी) ने कथित रूप से दिनांक 25.12.2002 को लगभग 11 बजे रात दो नाबालिग लड़कियों अर्थात् कु. श्यामा निर्मलकर (अ. स.-1) एवं कु. सीता (अ. स.- 2) के साथ सामूहिक बलात्कार किया। सभी किशोर अपराधियों अर्थात् नरेश, सोनी, जग्गू एवं राजेश को किशोर न्याय बोर्ड, पुलगांव द्वारा दांडिक प्रकरण सं.25/2003 में दिनांक 12.11.2003 के निर्णय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। हालांकि, इन अपीलार्थीगण को उपरोक्त सत्र विचारण में नियमित न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अभियोजन का मामला यह है कि दो पीड़िताएं अर्थात् कु. श्यामा (अ.स. -1) एवं कु. सीता (अ.स. -2), दोनों ग्राम पचपेड़ी की निवासी हैं। वे निकट संबंधी हैं, क्योंकि सीता श्यामा की बड़ी बहन की पुत्री है। दोनों ग्राम मोरिड गई थीं, जहां सीता के अंकल (मामा) अर्थात् संतोष निर्मलकर (अ.स. -4) अपने परिवार के साथ रहते थे। दिनांक 25.12.2002 की रात को दोनों ग्राम में नृत्य कार्यक्रम देखने गई थीं। आरोप यह है कि लगभग 11 बजे रात जब वे नृत्य कार्यक्रम देखकर वापस

लौट रही थीं, तब सभी 7 अभियुक्त व्यक्तियों ने उन्हें रास्ते में रोका। श्यामा (अ.स. -1) को अभियुक्त संतोष, देवेंद्र, नरेश, जग्गू एवं राजेश ने पकड़ा, जबकि सीता (अ.स. -2) को अभियुक्त मनोज एवं सोनी ने पकड़ा। उन्हें अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया। श्यामा को पास के स्थान ब्यारा पर ले जाया गया, जहां कुछ धान की पुआल रखी थी; उसे निर्वस्त्र किया गया एवं जमीन पर धकेल दिया गया। नरेश ने उसके दोनों हाथ पकड़े एवं तीन अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद जब चौथे अर्थात् देवेंद्र ने बलात्कार करने का प्रयास किया, तो उसने उसके बाएं माथे पर दांत से काट लिया एवं घटनास्थल से भाग गई। सीता को दूसरे स्थान, जो कि बांध के पास था, वहाँ पर ले जाया गया, जहां सोनी गोस्वामी ने उसके मुंह पर कपड़ा बांधा एवं अभियुक्त मनोज एवं सोनी गोस्वामी ने उसके साथ बलात्कार किया। जब श्यामा ने कहानी अपनी मौसी दुलसिया बाई को बताई, तो वे सीता की तलाश में गईं, जो उन्हें रास्ते में मिली एवं उसने भी उन्हें कहानी बताई। उसके बाद उन्होंने कहानी अन्य ग्रामीणों को बताई एवं अंततः कु. श्यामा (अ.स. -1) द्वारा पुलिस थाना उतई में दिनांक 26.12.2002 को लगभग 11:30 बजे पूर्वाह्न प्रथम सूचना प्रतिलेखन (प्रथम सूचना प्रतिवेदन) दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना प्रतिलेखन में सभी 7 अभियुक्त व्यक्तियों के नाम हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) अन्वेषण के दौरान, पीड़िताओं को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया। पीड़िता श्यामा (अ.स. -1) का परीक्षण डॉ. कल्पना शर्मा (अ.स. -9) द्वारा की गई। उन्होंने अपनी प्रतिवेदन ट पी/22 तैयार किया । उनके अनुसार, पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी सिवाय इसके कि वह अपने बाएं स्तन पर कुछ दर्द की शिकायत कर रही थी। उसके निजी अंगों पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, हाइमेन फटा

हुआ था एवं हाल के यौन संबंध के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती थी। पीड़िता सीता (अ.स. -2) का परीक्षण डॉ. (श्रीमती) पी. दानी (अ.स. -8) द्वारा की गई। उन्होंने अपना प्रतिवेदन पी/20 तैयार की। उनके अनुसार, पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, योनि में एक उंगली प्रवेश कर रही थी एवं गर्भाशय सामान्य था। हालांकि, योनि के पश्च भाग पर एक रैखिक घर्षण था एवं यौन संबंध के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती थी। अभियुक्त व्यक्तियों को भी चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया। जग्गू उर्फ जागेश्वर, मनोज साहू, संतोष साहू एवं देवेंद्र साहू का परीक्षण डॉ. अनिल अग्रवाल (अ.स. -11) द्वारा की गई, जिन्होंने क्रमशः प्रतिवेदन पी/24-ए, पी/26-ए, पी/28-ए एवं पी/29-ए तैयार किया । सभी अभियुक्त व्यक्तियों की चिकित्सकीय प्रतिवेदन सामान्य थी एवं वे यौन संबंध करने में सक्षम बताए गए। इन अभियुक्त व्यक्तियों के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी सिवाय देवेंद्र के, क्योंकि उसके बाएं माथे पर भौंह से लगभग डेढ़ इंच (1.5 इंच) दूर डेढ़ सेंटीमीटर (1.5 से.मी.) x आधा सेंटीमीटर (0.5 से.मी.) आकार का एक घर्षण था, जो अनियमित आकार का और लाल रंग का था, त्वचा झड़ गई थी, जिसमें चोट वाले क्षेत्र पर जमे हुए रक्त के थक्के दिखाई दे रहे थे। प्रतिवेदन के अनुसार, यह चोट किसी कठोर वस्तु से हो सकती थी एवं यह साधारण प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) उपरोक्त के अलावा, पीड़िताओं की उम्र से संबंधित साक्ष्य भी एकत्र किया गया एवं सामान्य अन्वेषण पूर्ण होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में दांडिक प्रकरण सं.12/2003 के अंतर्गत अभियोग -पत्र दाखिल किया गया, जिसने दिनांक 06.02.2003 के आदेश द्वारा मामले को सत्र न्यायालय को

हस्तांतरण किया, जहां से इसे प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को हस्तांतरित किया गया, जिन्होंने विचारण किया एवं उपक्षेपित निर्णय पारित किया।

(6) सत्र न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पीड़िता श्यामा (अ.स. -1) की उम्र घटना की तिथि पर लगभग 15 वर्ष 8 माह 26 दिन थी, जबकि पीड़िता सीता (अ.स. -2) की उम्र लगभग 12 वर्ष 11 माह 20 दिन थी। इन दो साक्षियों की गवाही पर भरोसा करते हुए, इसने आगे अभिनिर्धारित किया कि इन दो नाबालिग पीड़िताओं को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा जबरन लैंगिक संभोग किया गया, जिससे वे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2)(ग) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के दोषी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने पीड़िताओं की उम्र से संबंधित निष्कर्ष पर विवाद नहीं किया है। उनका तर्क था कि अभियोजन के अनुसार ही, पीड़िताएं एक अलग ग्राम की निवासी थीं एवं वे पहली बार अपने मामा के घर अर्थात् ग्राम मोरिड आई थीं एवं अपीलकर्ता को वें पूर्व से नहीं जानते थे , इसलिए श्यामा (अ.स. -1) द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अभियुक्त व्यक्तियों के नामों का उल्लेख अप्राकृतिक एवं संदिग्ध प्रतीत होता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दोनों पीड़िताओं की साक्ष्य में यह आया है कि वे अभियुक्त व्यक्तियों को नहीं जानती थीं, इसलिए इस मामले में शिनाख्त परेड का आयोजन आवश्यक था, जो अभियोजन द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अन्यथा भी, पीड़िताओं की ओर से अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान के तथ्य के संबंध में महत्वपूर्ण स्वीकृतियाँ , जो अपराध में उनकी भागीदारी के संबंध में संदेह पैदा करती हैं, सत्र न्यायाधीश द्वारा अनदेखी की गई हैं एवं इस पर, इन दो

पीड़िताओं की गवाही में अपीलकर्ताओं की भागीदारी एवं उनकी न्यायालय के समक्ष पहचान कार्यवाही को अविश्वसनीय माना जाना चाहिए एवं उन्हें दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

(8) इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया एवं सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश का समर्थन किया।

(9) मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है एवं सत्र विचारण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) जहां तक शिनाख्त परेड (टी.आई.पी.) की आवश्यकता का संबंध है, विधि यह है कि टी.आई.पी. के बिना भी न्यायालय में की गई पहचान कार्यवाही पर विश्वास किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***रॉनी बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1998 एस सी 1251*** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि साक्षी को अभियुक्त के साथ बातचीत करने या उसकी विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान देने का अवसर मिला है तो न्यायालय में उसकी गवाही को विश्वसनीयता प्रदान करता है एवं शिनाख्त परेड के रूप में संपोषक साक्ष्य की कमी महत्वपूर्ण नहीं होगी।

(11) ***जॉर्ज बनाम केरल राज्य ए. आई. आर. 1998 एस सी 1376*** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय में पहचानकर्ता व्यक्ति द्वारा अभियुक्त का पहचान किया जाना पर्याप्त साक्ष्य है एवं शिनाख्त परेड में उसकी पूर्व पहचान उसी की पुष्टि करती है। अतः दूसरे शब्दों में,

टी.आई.पी. परेड में पूर्व पहचान के साक्ष्य की कमी न्यायालय में पहचान के साक्ष्य की ग्राह्यता को प्रभावित नहीं करती।

(12) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से ***दस्तगीर सब एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2004) 3 एस सी सी 106*** मामले में अभिनिर्धारित किया कि टी.आई.पी. का आयोजन न होना स्वयं अभियोजन मामले को नासाबित नहीं करता। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि यह किस हद तक अभियोजन मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

(13) अतः, यह सुस्थापित है कि टी.आई.पी. के बिना भी न्यायालय में कि गई पहचान पर विश्वास किया जा सकता है एवं टी.आई.पी. का परिणाम पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, इसका उपयोग केवल पुष्टि या खंडन के लिए किया जा सकता है। विवेकपूर्णता के अनुसार न्यायालय में पहचान कार्यवाही का पूर्व में कि गई टी.आई.पी. द्वारा पुष्टि आवश्यक है, लेकिन टी.आई.पी. की अनुपस्थिति घातक नहीं है यदि अभियुक्त व्यक्ति साक्षी को पूर्व से ज्ञात थे या यदि वे शिकायत में पर्याप्त रूप से वर्णित किए गए थे या यदि अभियुक्त व्यक्ति घटनास्थल पर गिरफ्तार किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) वर्तमान मामले में, निर्विवाद रूप से, अभियुक्त व्यक्तियों के नाम पीड़िता श्यामा (अ.स. -1) द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना अभिवेदन में उल्लिखित हैं। जहां तक अभियोजन का सम्बन्ध है, उनका तर्क है कि चूंकि अभियुक्त व्यक्तियों के नाम प्रथम सूचना अभिवेदन में उल्लिखित हैं, इसलिए इस मामले में टी.आई.पी. की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रश्न यह उठता है कि प्रथम सूचना अभिवेदन दर्ज

कराने वाले को अभियुक्त व्यक्तियों के नाम उल्लिखित करने का स्रोत क्या था? यदि हम श्यामा (अ.स. -1) की साक्ष्य देखें, तो उसके प्रतिपरीक्षण के कंडिका 8 में यह आता है कि चूंकि अभियुक्त व्यक्ति एक-दूसरे को उनके नाम लेकर पुकार रहे थे, इसलिए वह उनके नाम जान सकी एवं इसी आधार पर उसने प्रथम सूचना अभिवेदन में उनके नाम उल्लिखित किए। इस संबंध में उसकी स्वीकारोक्ति स्पष्ट एवं असंदिग्ध है, जो निम्नानुसार है:

> "यह कहना सही है, कि मैंने जो प्रथम सूचना प्रतिवेदन में बारी-बारी से संभोग करने की बात अभियुक्तों के नाम से लिखाई थी, वह सुनी हुई नामों पर आधारित हैं। यह कहना सही है, कि देवेंद्र को अंधेरे के कारण पहचान नहीं पाई थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त के अलावा, उसने इस कंडीका में यह भी स्वीकार किया है कि चूंकि अंधेरा था, इसलिए वह नहीं बता सकती कि किसने उसके हाथ पकड़े थे एवं किसने उसके मुंह पर कपड़ा बांधा था। उसने आगे यह भी स्वीकार किया कि ब्यारा (घटनास्थल) में भी अंधेरा था, जहां कुछ धान की पुआल रखी थी, इसलिए वह किसी भी हमलावर की पहचान नहीं कर सकी। इसलिए, तथ्य यह रहता है कि जहां तक इस साक्षी का संबंध है, उसने हमलावरों के नाम केवल इस आधार पर उल्लिखित करके प्रथम सूचना अभिवेदन दर्ज कराई कि हमलावर घटना के समय एक-दूसरे को उपरोक्त नामों से पुकार रहे थे। जहां तक न्यायालय में पहचान कार्यवाही का संबंध है, वह भी इस साक्षी की स्वीकारोक्ति पर संदिग्ध हो जाती है कि

रास्ते पर पूरा अंधेरा था, जहां उसे एवं दूसरी पीड़िता को हमलावरों द्वारा पकड़ा गया, जिसके कारण वह उनमें से किसी की पहचान नहीं कर सकी एवं यहां तक कि वह ब्यारा में यौन संबंध के समय हमलावरों की पहचान नहीं कर सकी, क्योंकि वहां भी पूरा अंधेरा था।

(15) जहां तक अ.स. -2 सीता का संबंध है, उसने भी अपने प्रतिपरीक्षण की अंतिम 4 पंक्तियों में स्वीकार किया है कि वह नहीं कह सकती कि न्यायालय में उपस्थित अपीलकर्ता मनोज ने उसके साथ लैंगिक संभोग किया था या नहीं। उसने स्पष्ट किया कि चूंकि दूसरा लड़का (किशोर अपराधियों में से एक), जो उपस्थित नहीं है, "मनोज मनोज, इधर आ मनोज" जैसे पुकार रहा था, इसलिए वह कह रही है कि न्यायालय में उपस्थित मनोज ने उसके साथ लैंगिक संभोग किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) अतः, इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए, दो बातें बहुत स्पष्ट प्रतीत होती हैं। प्रथम, पीड़िताएं अभियुक्त व्यक्तियों को पूर्व से नहीं जानती थीं, क्योंकि वे उनके लिए अजनबी थे एवं अ.स. -1 श्यामा ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उनके नाम केवल इस आधार पर उल्लिखित किया कि प्रथम , हमलावर घटना के समय इन नामों से एक-दूसरे को पुकार रहे थे और द्वितीय , वास्तव में, अ.स. -1 एवं अ.स. -2 की साक्ष्य के कंडिका 8 एवं कंडिका 5 के अनुसार, वे उन व्यक्तियों की पहचान नहीं कर सकीं जिन्होंने उनके साथ लैंगिक संभोग किया। इसलिए, प्रथम, शीघ्र पहचान आवश्यक थी, जो अभियोजन द्वारा नहीं की गई और न्यायालय के समक्ष पहचान कार्यवाही भी बहुत उपयोगी नहीं है

क्योंकि प्रतिपरीक्षण में पीड़िताओं ने स्वीकार किया है कि अंधेरे के कारण वे हमलावरों की पहचान नहीं कर सकीं।

(17) अभियोजन का एक अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य पीड़िता श्यामा (अ.स. -1) द्वारा अभियुक्त देवेंद्र को कथित रूप से दांत से काटने के बारे में है। निर्विवाद रूप से, देवेंद्र की जांच डॉ. अनिल अग्रवाल (अ.स. -11) द्वारा की गई, जिन्होंने अपना प्रतिवेदन पी/29-ए दिया, जिसमें उन्होंने उसके बाएं माथे पर एक डेढ़ सेंटीमीटर x आधा सेंटीमीटर आकार का एक घर्षण पाया, जो अनियमित आकार का था। इस चोट के बारे में, उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 7 में स्वीकार किया कि उक्त चोट दांत से काटने से नहीं हो सकती और यह चोट उनकी जांच के समय से 24 घंटे के भीतर हुई थी, जो दिनांक 27.12.2002 को दोपहर 1:50 बजे की गई थी, जबकि घटना दिनांक 25.12.2002 को हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18) निस्संदेह, बलात्कार की पीड़िता घायल साक्षी के समान स्थिति में है और उसकी साक्ष्य को संपोषक साक्ष्य के बिना भी बहुत महत्व दिया जाना चाहिए और दोषसिद्धि उसकी एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है, क्योंकि हमारी विधि व्यवस्था ने साक्ष्यों की मात्रा के बजाय गुणवत्ता एवं महत्व को वरीयता दी है, लेकिन मूल रूप से, यह तथ्य अक्षुण्ण रहता है कि उसकी ऐसी गवाही न्यायालय का विश्वास प्रेरित करनी चाहिए ताकि दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए उस पर पूरी तरह निर्भर किया जा सके, अभियुक्त के अपराध के विरुद्ध किसी संदेह या संशय की गुंजाइश छोड़े बिना।

(19) वर्तमान मामले में, 2 पीड़िताओं के प्रतिपरीक्षण पर, विशेष रूप से हमलावरों की पहचान के संबंध में उनके द्वारा की गई स्वीकारोक्तियों पर, उनकी साक्ष्य इस न्यायालय का विश्वास प्रेरित नहीं करती ताकि अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि उस आधार पर दर्ज की जा सके।

(20) इस न्यायालय की राय में, सत्र न्यायालय ने पीड़िताओं की ऐसी साक्ष्य पर अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराकर विधिक त्रुटि की है, उनकी मूल्यवान स्वीकारोक्तियों को पूरी तरह अनदेखा करके, जिसके कारण, अभियुक्त व्यक्तियों की न्यायालय में पहचान कार्यवाही के साथ-साथ प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उनके नामों का उल्लेख दोनों निराधार हो जाते हैं। अपीलार्थीगण को सुनाई गई दोषसिद्धि एवं दंड ऐसी साक्ष्य पर टिकाऊ नहीं है और इन्हें अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(21) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एवं उन पर अधिरोपित दंड अपास्त किए जाते हैं। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2)(ग) के अंतर्गत आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह कथन किया कहा गया है कि अपीलार्थीगण दिनांक 27.12.2002 से निरंतर जेल में हैं। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हों तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

***

अस्वीकरणः

हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By: सुमन श्रीवास्तव